कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही

सी.यू.जी. – 9454400307, दूरभाष- 05414-250236, ई-मेल- spsrn-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद भदोही

दिनांक- 25.08.2025

श्री अभिमन्यु मांगलिक , पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तथा श्री शुभम अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 25.08.2025 को साइबर थाना पुलिस द्वारा मुखबीर की सूचना पर विष्णु चरण पाल के घर से दो शातिर चोरों द्वारा मोबाइल चुराकर मोबाइल में इंस्टॉल फोन पे के माध्यम से कुल ₹ 96846/- अपने खाते में ट्रांसफर कर चुराने के संबंध में दोनों शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.08.2025 को आवेदक विष्णुचरण पाल पुत्र स्व० चेखुरी पाल निवासी पूरे शम्भू थाना गोपीगंज जिला भदोही का बैंक आफ इण्डिया शाखा गोपीगंज जिला भदोही के खाते में दिनांक 10.8.2025 को 418,200 रु0 वैलेंस था आवेदक अपने उपरोक्त बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल में "फोन पे" इंस्टॉल किया था। उक्त मोबाइल दिनांक 11.08.2025 को रात्रि मे गुम हो गया जिसके गुम होने की सूचना दिनांक 12.08.2025 को थाना गोपीगंज में दिया गया। दिनांक 13.08.2025 को अपने उक्त बैंक के खाते का स्टेटमेंट निकलवाया तो पता चला कि उक्त खाते से दिनांक 12.08.2025 को कई बार में कुल ₹96846/- आनलाईन निकाल लिया गया। इसके संबंध साइबर थाना पर दिनांक 12.08.2025 को मुकदमा अपराध संख्या-35/2025 धारा 66डी अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित की गई।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी का विवरण-

श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तथा **श्री शुभम अग्रवाल**, अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के नेतृत्व में दिनांक 25.08.2025 को निरीक्षक श्यामधर सिंह मय हमराही कर्म0गण हे0का0 देवानन्द व का0 सदानन्द के साथ अभियोग उपरोक्त से संबंध में दुर्गागंज तिराहा ज्ञानपुर पर मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त मुकदमे से संबंधित अभियुक्तगण सिंहपुर नहर पुलिया से उगापुर जाने वाले रास्ते पर दारु की दुकान के पास थानीपुर में अभियुक्त कहीं जाने के फिराक में वहाँ खड़े हैं अगर जल्दी किया जाय तो अभियुक्तगण पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर दुर्गागंज तिराहा ज्ञानपुर से रवाना होकर सिंहपुर नहर पुलिया से उगापुर जाने वाले रास्ते पर दारु की दुकान के पास खड़े हुये दो व्यक्तियों को समय 12.17 बजे पकड़ लिया गया। पकड़े गये दोनो व्यक्तियों से नाम पता व भागने का कारण पूँछने पर एक ने अपना नाम कवि यादव उर्फ शुभम यादव पुत्र दिनेश यादव निवासी ककराही थाना गोपीगंज जनपद भदोही व दूसरे ने अपना नाम मनोज यादव पुत्र राकेश यादव निवासी ककराही थाना गोपीगंज भदोही बताया गया। जिनको गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्तों के अन्य अपराधिक घटनाओं के बारे में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ-

पूछताछ के क्रम में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग दिनांक 11.08.2025 को रात्रि में अपने गाँव के बगल के गाँव पूरेशम्भू में विष्णु चरण पाल के घर के बाहर दरवाजे के पास ईंट पर रियल मी मोबाईल रखा था जिसे हम दोनो मिल कर चुरा लिये कुल ₹96846/- हम लोगों ने उस मोबाइल से ट्रांसफर कर आपस में बांट लिये थे। जिसका नगदी लेकर हम दोनो लोग

अपने पास रखे थें। जिसके डर से हम दोनों लोग आप लोगों के डर से भाग रहे थें कि आप लोगों ने पकड़ लिया। अभियुक्त कवि यादव उर्फ शुभम यादव उपरोक्त की पास से कुल ₹46000/- बरामद हुये। तथा दूसरे अभियुक्त मनोज यादव के पास से कुल ₹49000/- बरामद हुये। बरामद रुपयों के बारे में दोनो अभियुक्तगणों से पूँछा गया तो एक साथ दोनो ने बताया कि हम लोग दिनांक 11.08.2025 को रात्रि में अपने गाँव के बगल के गाँव पूरेशम्भू में विष्णु चरण पाल के घर के बाहर दरवाजे के पास ईंट पर रियल मी मोबाईल रखा था जिसे हम दोनो मिल कर चुराए थे। मोबाइल लाक नहीं था मोबाइल खुला था। जब हम लोग मोबाइल चेक किये तो उसमें फोन पे इंस्टाल था जिस पर हम लोगों ने फोन पे का कोड अलग अलग नंबर डालकर चेक किया तो 1,2,3,4 कोड डालने पर फोन पे खुल गया जिससे हम लोगों ने रविशंकर बिन्द पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम कुसौड़ा थाना सुरियाँवा के यूनियन बैंक के खाते में 40000/- रुपये ट्रांसफर किये। उसके बाद अभियुक्त मनोज यादव पुत्र राकेश यादव निवासी ककराही थाना गोपीगंज के एचडीएफसी बैंक के खाते में ₹20000/- ट्रांसफर किये उसके बाद अशोक यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी नरऊर थाना गोपीगंज जनपद भदोही के आटो पार्ट्स की दुकान पर लगे क्यूआर कोड पर स्कैन करके ₹15000/- ट्रांसफर किये तत्पश्चात अक्षय कुमार पुत्र नेंबूलाल निवासी गोपपुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही के अन्डे की दुकान के बाहर लगे क्यूआर कोड पर ₹20000/- स्कैन कर ट्रांसफर किया। कुछ शेष पैसे हम लोगों ने रिचार्ज और खाने पीने में खर्च कर दिये और पकड़े जाने की डर से हम लोगों ने चुराये गये मोबाइल को तोड़कर चिल्ह पुल से गंगा जी में फेंक दिये। आज हम लोगों के पास से जो रुपये बरामद किये हैं यह वही रुपये हैं जिसको हम लोगों ने अलग- अलग खातों में मोबाइल से ट्रांसफर किये थे वह रुपये नगद निकलवा लिये थे। अभियुक्तगण का यह कृत्य जुर्म धारा 303(2),3(5),317(2),238 BNS व 66 डी आईटी एक्ट का अपराध बताकर नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. कवि यादव उर्फ शुभम यादव पुत्र दिनेश यादव निवासी ककराही थाना गोपीगंज जनपद भदोही उम्र 19 वर्ष
2. मनोज यादव पुत्र राकेश यादव निवासी ककराही थाना गोपीगंज भदोही उम्र 29 वर्ष

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

नि0 श्यामधर सिंह, हे0का0 देवानन्द व का0 सदानन्द साइबर थाना जनपद भदोही।